

स्टेट बनाम चन्दो आदि

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल में
जारी हुये

16/8/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण बावजुद विधिवत सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं। इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि 447 की 3.920 है। भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादीगण को कृषि कार्य हेतु दी गई है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से जिप्सम खनन किया जा रहा है। अतः वादी वादी डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा पूरबसर के ख.नं. 447 की 3.920 है। भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 16/8/2024 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एड
सुपरण्ड अधिकारी
एवम्



डिक्री बुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 374 / 2018 अन्तर्गत धारा 177 आर्टीएक्ट
राजस्थान राज्य जूरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ ।

चन्चो पत्नी रामलाल, सुलतान, हरीराम, बेगाराम, देवीलाल, उदराम, सन्तराम, शिशपाल,
भगवानी, सोना पुत्र/पुत्रीयां रामलाल जाति नायक निवासी पूरबसर तहसील पल्लू।
बनाम

उपस्थित:- परोकार राज-वादी
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर
के सम्म परोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए
रोही मौजा पूरबसर के ख.नं. 447 की 3.920 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त
भूमि से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते
है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद
किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/8/2024
को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान